पा२।१२९८-ल

प्रश्न क्रमांक-1297

[18/12/2024] परिशिष्ट-1

कार्यालय मुख्य अभियंता
वैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग
सिवनी (म.प्र.) 480 661

दूरभाष -- 07692-220776
फैक्स -- 221163
e-mail :ceseoni@rediffmail.com

प्रश्न सं. [क्र. 1297]

ज्ञापन क्रमांक- 005/ क्यू / कार्य/व्ही.आई.पी.-2023

सिवनी दिनांक-18.11.2024

प्रति,

निज सहायक,
माननीय श्री दिनेश राय मुनमुन (विधायक-सिवनी),
कार्या./नि. बबरिया रोड शास्त्री वार्ड बारापत्थर,
जिला सिवनी (म.प्र.)

विषय :- 15 नवम्बर 2024 तक सिंचाई के लिए नहरों में पानी प्रारंभ कर 25 नवम्बर 2024 तक सभी नहरों में पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र.-1084/वि.स. सिवनी 115/दिनांक 07.11.2024

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि, इस वर्ष सिवनी जिले में अत्याधिक वर्षा हुई है। सिवनी जिले की औसत वर्षा 1323.70 मि.मी. है, जबकि इस वर्ष 1449.60 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। दिनांक 19.10.2024 को 20.60 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। जिससे दिनांक 25.10.2024 तक कार्य स्थल पर निमार्ण कार्य हेतु एप्रोच एवं कार्य करने की स्थिति ना होने के कारण मरम्मत कार्य प्रारंभ नही किया जा सका था। अत्याधिक वर्षा के कारण सिवनी शाखा नहर की आर.डी. 35.90 कि.मी. पर स्थित एक्वाडक्ट का एक स्पान क्षतिग्रस्त हो गया था तथा नहरें भी अनेक स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई थी क्षतिग्रस्त नहरों का सुधार कार्य एवं एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य त्वरित गति से पूर्ण करवा लिया गया है। जिसे मिनिमम स्ट्रेन्थ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम सात दिवस का समय आवश्यक है। साथ ही क्षतिग्रस्त एप्रोच का निर्माण कार्य भी प्रगतिरत है। सात दिवस के अन्दर वह भी पूर्ण हो जावेगा। इसके बाद ही सिवनी शाखा नहर के 35.90 कि.मी. के आगे पानी दिया जा सकेगा। दिनांक 17.11.2024 को मान. विवेक बंटी साहू जी, सांसद छिंदवाडा लोकसभा क्षेत्र एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पेंच व्यपवर्तन परियोजना की दोनों नहरों से जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया है। आपके संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार सिवनी शाखा नहर के 33.00 कि.मी. से वैनगंगा नदी मे पानी डालकर कृषकों को सिंचाई कार्य हेतु नदी से पानी दिया जा रहा है। इसके पूर्व की समस्त नहरों में यथा बाई तट नहर, बखारी शाखा नहर, डी-1 डिस्ट्रीब्यूटरी एवं सिवनी शाखा नहर के कि.मी. 33.00 तक सिंचाई हेतु कृषको को जल प्रदाय किया जा रहा है। इससे आगे शीघ्र जल प्रदाय करने की व्यवस्था की जा रही है। अतः दिनांक 25.11.2024 तक कलारबांकी क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल प्रदाय किया जाना संभव नही होगा।

कृपया सादर सूचनार्थ ।

सहपत्रः- निरंक

(ए.के. देहरिया)
मुख्य अभियंता
वैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग,
सिवनी (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक- 005/ आर/ कार्य/व्ही.आई.पी.-2023

सिवनी, दिनांक-18 .11.2024

प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, मान. श्री तुलसीराम सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग म.प्र.शासन भोपाल की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मंडल छिंदवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन नहर संभाग सिंगना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः-निरंक

(ए.के. देहरिया)
मुख्य अभियंता
वैनगंगा कछार जल संसाधन विभाग,
सिवनी (म.प्र.)